इस से हमेशा शिक्षित रहें

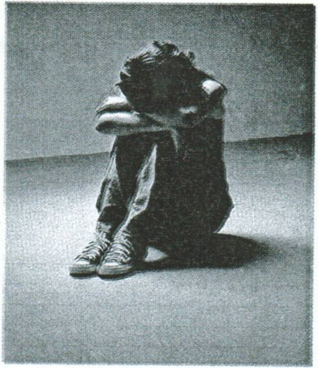

नौकरी खोने से तनाव होना स्वभाविक है। *चित्र- गूगल*

लेख- ऐलेक सेन्टर
प्रस्तुति- नीलम कुमार

इस लेख में नौकरी से कर्मचारी को काम से निकाले जाने और उनपर किए गए अनुशासनिक कदम पर चर्चा की जा रही है।

ऐसे मामले जो आमतौर से सुलझे नहीं होते हैं लेकिन ऐसी कई शिकायतें और समस्याएं हैं जिनपर ट्रांस्पेरेन्सी इंटरनेशनल फीजी के एडवोकेसी और कानूनी सलाह सेन्टर लोगों को सलाह प्रदान करता है।

अगर आपके साथ भी ऐसी घटना हुई है जहां पूर्व में आपके मजदूर मालिक ने आपको काम से निकाला है या अनुशासित किया है तो भी आप ऐलेक की इस सलाह को पढ़कर यह जान सकेंगे कि आप को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए या क्या करना था।

यहां ऐसा एक मामला दिया जा रहा है जिसे आप गौर से पढ़ सकते हैं।

मामला- सन् 2010 में श्री टी नामक एक कर्मचारी एक कोपरेट कम्पनी के लिए कार्यरत थे जिन्हें उसकी कम्पनी ने गैर जिम्मेदार तथा अनुपयुक्त व्यवहार करार देते हुए काम से निकाल दिया था।

श्री टी एक जोब साइट पर होने वाले काम में उलझे कर्मचारियों के दल का मुखिया यानी लीडर था। यह दल फीजी के एक प्रमुख शहर से बाहर वाले इलाकों में होने वाली मरम्मत कार्य में लगा हुआ था और जो एक ठेके के तहत काम कर रहा था। इस कोंट्रेक्टर के नीचे काम कर रहे एक अयोग्य कर्मचारी ने अपने काम के दौरान ऐसी गल्ती कर दी थी जो लगभग घातक सिद्ध हो सकती और काफी हानि हो सकती थी। इस घटना से दो घरों को भारी क्षति पहुंची थी।

इस कोपरेट कम्पनी के संचाल्कों ने इस घटना पर बारीकी से गौर किया और इसे एक अति खतरनाक दुर्घटना करार दिया जो एक बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती थी।

जबकि श्री टी इस कार्य करने वाले दल के मुखिया यानी ऑफिसर इन- चार्ज थे, को इस घटना के बाद नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया था।

श्री टी ने सोचा कि उनके लिए यह एक मामला है क्योंकि वे समझते थे कि करे कोई और, भरे कोई और इसलिए वे अपनी इस नौकरी खोने वाली शिकायत लेकर ऐलेक यानी ट्रांस्पेरेन्सी इंटरनैशनल के पास गए।

वे अपने इस मामले को 2010 की शुरूआत में ले गए और उनकी यूनियन भी इनके नौकरी से निकाले जाने का विरोध कर रही थी।

नीचे जो सलाह दी जा रही है वो किसी कर्मचारी या किसी मजदूर मालिक पर लागू नहीं है पर इस आशा से दी जा रही है कि कोई भी कर्मचारी जिसे बर्खास्त किया जाता है या जिनपर अनुशासनिक कदम लिया जाता है उसके लिए ये जानकारियां सार्थक सिद्ध हो सकती हैं।

इस विषय पर आम सलाह लेने के लिए हमेशा तैयार रहें।

काम खोना या काम को लेकर आप पर छानबीन की कार्यवाही होना एक बहुत ही चिन्तनीय विषय है।

अपने मजदूर मालिक के साथ हमेशा श्रेष्ठ काम का रिश्ता बनाए रखने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए।

अगर आप एक ट्रेड यूनियन के सदस्य हैं तो आप उसे ऐसे मामलों में सम्पर्क कर सकते हैं या मजदूर मालिक के साथ होने वाली आपकी किसी भी सभा में उसके एक प्रतिनिधि को साथ लेने की मांग कर सकते हैं।

अगले सप्ताह अनुशासनिक प्रणाली तथा उसकी मार्गदर्शिका का विषय प्रकाशित होगा।